में जारी

भोली देवी बनाम छाजूसिंह

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन मु0नं0 5/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.11.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पनर्विलोकन साबित नही है। प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन के जरिये निर्णय व डिक्री निरस्त नही किये जा सकते हैं। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। निर्णय व डिक्री से यदि प्रार्थी/प्रतिवादी को आपत्ति है तो उसे सक्षम न्यायालय मे अपील दायर कर चाराजोही करनी चाहिये थी। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी मोतीसिह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 29/11/19 (हरिताभ कुमार आदित्य) उपखण्ड अधिकारी सिकराय।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय, जिला-दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Date: 2019.12.03 16:19:12 IST
Reason: SelfAttested